न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः२३ /2023

अपीलार्थी
सुगन कंवर पत्नी रामसिंह जी पुत्री किशनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– खुणी का गुडा, तहसील रानी, जिला– पाली

बनाम

प्रत्यर्थीगण
(1) जब्बरसिंह पुत्र किशनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– लखमवा बडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
(2) हडमतसिंह पुत्र किशनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– लखमवा बडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
(3) अनैक कंवर पत्नी हमीरसिंह जी पुत्री किशनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– थुम्बा, तहसील– आहोर, जिला– जालोर
(4) पप्पू कंवर पत्नी कानसिंह जी पुत्री किशनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बाबा गांव, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली
(4) मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– खुणी का गुडा, तहसील– रानी, जिला– पाली
(5) तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री मोहन सिंह देवड़ा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 08 जनवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम रोवाडा, पटवार हल्का रोवाडा के स्वीकृत नामामान्तरकरण संख्या 2617 दिनांक 10.11.2021 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–6 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम रोवाड़ा पटवार हल्का रोवाड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोगापुर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में आई हुई है जिसके खाता संख्या नया 126 पुराना 20 खसरा संख्या 420/4 रकबा 1.5864 हेक्टेयर किस्म ब–1 है। यह कि अपीलान्ट के भाई ओबसिंह व अपीलान्ट के पुत्र रेस्पोडेन्ट सख्या 5 मनोहरसिंह के नाम से उक्त वर्णित कृषि भूमि ग्राम रोवाड़ा, पटवार हल्का रोवाड़ा, तहसील शिवगंज में आई हुई है। ... के भाई ओबसिंह का नाऔलाद दिनांक 27.3.2020 को स्वर्गवास हो गया है ... उनकी पत्नी चन्दर कंवर का स्वर्गवास भी दिनाक 29.03.2010 को पूर्व में हो चुका है। ... ओबसिंह जी पुत्र किशनसिंहजी ... दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के पीछे उनके भाई व बहिन वारिसान है। स्वर्गीय ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी, निवासी लखमावा बड़ा, तहसील शिवगंज जिला सिरोही के पेढी पत्रक अनुसार स्वर्गीय ओबसिंह पुत्र किशन सिंह के वारिसान चन्दन कंवर (पत्नी), जब्बरसिंह, हडमतसिंह (भाई), सगुन कंवर, अनैक कंवर व पप्पु कंवर (बहिन) है। स्वर्गीय ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी की भी मृत्यु हो गई है। अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय रामसिंह सेवानिवृत होने पर पेन्शन का पैसा मिला उसमें से ग्राम रोवाडा में अपीलान्ट के भाई ओबसिंह व अपीलान्ट के पुत्र मनोहरसिंह के नाम से उक्त वर्णित कृषि भूमि क्रय की थी जिस पर अपीलान्ट व उसके पुत्र मनोहरसिंह व अन्य पुत्रों का कब्जा काश्त है एवं अपीलान्ट का भाई ओबसिंह उक्त वर्णित कृषि भूमि की देखभाल करते थे। अपीलान्ट के भाई स्वर्गीय ओबसिंह पुत्र किशनसिंहजी की मृत्यु दिनाक 27.3.2020 के बाद नामान्तरकरण संख्या 2617 दिनाक 10.11.2021 अपीलान्ट सुगन कवर व रेस्पोडेन्टान जब्बरसिंह, हड़मतसिंह, अनैक कंवर व पप्पु कंवर पिता किशनसिंह के नाम से भरा जाना चाहिए था, लेकिन पटवारी हल्का रोवाड़ा ने प्रत्यर्थी संख्या 2 हडमतसिंह से मेल मिलावट कर स्वर्गीय ओबसिंह के पेढी पत्रक की गलत रिपोर्ट प्राप्त की एवं अन्य मातहत अधिकारियों ने समुचित जांच किये बिना जब्बरसिंह व हड़मतसिंह के नाम से नामान्तरकरण को स्वीकृत किया है। यह कि अपीलान्ट व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के भाई ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी की मृत्यु दिनांक 27.3.2020 के बाद पटवारी हल्का रोवाडा व मातहत अधिकारियों ने स्व. ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी के पेढी पत्रक व अपीलान्ट व उसके पुत्रों के कब्जा के बारे में समुचित जांच किये बिना नामान्तरकरण संख्या 2617 दायर किया गया व अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज ने भी बिना कोई जांच किये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2617 दिनाक 10.11.2021 को स्वीकृत किया है, जो विधि सम्मत नही है। यह कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 5 व अन्य भाईयों का कब्जा उक्त कृषि भूमि क्रय करने के बाद से आज दिन तक यथावत है। स्व. ओबसिंह की अपीलान्ट सुगन कंवर व रेस्पोडेन्ट अनेक कंवर व पप्पू कंवर बहिने होने से उनको भी वारिसान के रूप में रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक था एवं स्व. ओबसिंह के वारिसान में जब्बरसिंह व हड़मतसिह के साथ सुगन कवर, अनेक कवर व पप्पू कंवर के नाम भी नामान्तरकरण में दर्ज कर नामान्तरकरण को स्वीकृत करना चाहिये था। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2617 दिनांक 10.11.2021 को निरस्त किया जावे एवं अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को स्वर्गीय ओबसिंह जी पुत्र किशन सिंह जी राजपूत, निवासी– लखमावा बडा के सभी विधिक वारिसान अपीलान्ट व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पक्ष में पुनः नामान्तरकरण दर्ज करवाकर स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान व्यक्त किया किया उक्त कृषि भूमि के खातेदार ओबसिंह पुत्र श्री किशनसिंह राजपूत, निवासी–लखमावा बडा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 2617 हल्का पटवारी, रोवाडा ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दायर किया है जो तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 10.11.2021 स्वीकृत किया गया है।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम रोवाडा, पटवार हल्का रोवाडा के खसरा संख्या 420/4 रकबा 9.16 बीघा भूमि के खातेदार ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बडा लखमावा की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बडा लखमा[illegible] कृषि भूमि का हल्का पटवारी, रोवाडा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष [illegible] का नामान्तरकरण संख्या 2617 दायर किया गया, जिसे [illegible] दिनांक 10.11.2021 को स्वीकृत किया गया है। तहसील[illegible] ग्राम रोवाडा, पटवार हल्का रोवाडा

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:39 IST
Reason: SelfAttested

के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2617 दिनांक 10.11.2021 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.10.2023 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2617 दिनांक 10.11.2021 के विरुद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र संख्या 36/2023 अनवान सुगन कंवर बनाम जब्बरसिंह व अन्य में बाद सुनवाई पक्षकारान पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 के द्वारा प्रार्थी सुगन कंवर का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किये जाने से इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्वर्गीय ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– लखमावा बडा की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी राजपूत के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 2617 हल्का पटवारी, रोवाडा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दायर किया गया जिसे तहसीलदार, शिवगंज ने दिनांक 10.11.2021 को स्वीकृत किया है। जबकि अपीलार्थी सुगन कंवर द्वारा अपील में अंकित पेढीपत्रक व प्रस्तुत जमाबन्दी की छाया प्रति के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अपीलान्ट भी मृतक खातेदार ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी राजपूत, निवासी– बडा लखमावा की बहिन होने से मृतक खातेदार ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी राजपूत, निवासी– बडा लखमावा की कृषि भूमि में बतौर उत्तराधिकार अपीलान्ट का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन हल्का पटवारी, रोवाडा द्वारा मृतक खातेदार ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी राजपूत, निवासी– बडा लखमावा के सभी विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में ही नामान्तरण दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 10.11.2021 को स्वीकृत किया गया है, वह विधि सम्मत नही है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारवान होने व साबित होने से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2617 दिनांक 10.11.2021 को अपास्त किया जाकर मृतक खातेदार ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी राजपूत, निवासी– लखमावा बडा के सभी विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण दायर कर निर्णित करने हेतु तहसीलदार, शिवगंज को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम रोवाडा, पटवार हल्का रोवाडा के नामान्तरकरण संख्या 2617 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 को अपास्त किया जाता है, एवं प्रकरण तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मृतक खातेदार ओबसिंह पुत्र किशनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– लखमावा बडा के विधिक वारिसानों की समुचित जांच कर नामान्तरकरण पुनः दायर कर नियमानुसार निर्णित करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08 जनवरी, [illegible] को [illegible]र–ए–ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:39 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय सिरोही